Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding inclusion of Gond Community in the ST category in certain districts of Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (**डुमरियागंज**): अधिष्ठाता महोदय, भारत की संसद ने पहले लोक सभा में दि कांस्टीट्यूशन (शेडयूल्ड ट्राइब) ऑर्डर (फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल पास किया था, जिसे कल राज्य सभा ने भी पारित कर दिया । दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह उत्तर प्रदेश के गौड़ समाज, धूरिया समाज और पठारी समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है । जिस तरीके से इस समाज के लोगों ने जो योगदान दिए हैं, चाहे वे इनके महापुरुष होमाराम भीम जी हों, संग्राम शाह हों, मोती कंगाले हों – इन सब लोगों का और गौड़ समुदाय के लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है । ये भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है । उनको जो पहले मिलना चाहिए था, जिससे उनका सम्मान हो, उनके रोजगार की बात हो, उन्हें आरक्षण मिलने की बात हो, मैं बधाई दूंगा कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दोनों सदनों से जनजातीय लोगों को यह अधिकार कानून के माध्यम से प्राप्त हुआ है । केवल वह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, ताकि पूरा देश अपनी उन जनजातियों के योगदान को, उनके संघर्ष को, चाहे भगवान बिरसा मुण्डा हों या हमारे यहां के गौड़ समाज के लोग हों, उनके योगदान को याद कर सके ।

देश के हर राज्यों में जनजातीय समूह के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है । हमारी सरकार ने 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना की है । वह पूरे देश में एक-एक राज्य में रहने वाले उन जनजातीय लोगों का सम्मान है और उनको देश की मुख्य धारा में लाने का भी काम है । आज जिस तरीके से चाहे, वह मणिपुर की रानी गाइदिन्ल्यू का ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट हो । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए ।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विषय पर आता हूं । विषय यह है कि आज उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में उन गौड़ समाज के लोगों को एसटी की श्रेणी में रखा गया है । इस विधेयक से चार वे जनपद, जैसे बस्ती से अलग हुआ संतकबीर नगर, भदोही, जो बनारस से अलग हुआ, चंदौली और कुशीनगर, अब इन जनपदों के गौड़ और धूरिया समाज के लोगों को भी एसटी में रहने का मौका मिलेगा । वर्ष 2017 के नगर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव थे ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं यह चाहता हूं कि उनको नगर पालिकाओं में आरक्षण था । ... (व्यवधान) अधीर रंजन जी, पेशेंस रखिए, आपको मालूम हो जाएगा । उत्तर प्रदेश के नगर पालिका, नगर महापालिका पंचायतों में वर्ष 2017 में जनजाति का भी आरक्षण था, लेकिन इस बार वह आरक्षण नहीं हुआ है । एक तरफ हमारी केन्द्र सरकार ने इनके लिए विधेयक पारित किया, जिसका लाभ एसटीज़ की दस लाख के बड़े समूह की आबादी को मिल रहा है, लेकिन आज इस चुनाव में आरक्षण नहीं है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले इस नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका के चुनाव में पहले इन जनजातीय लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था, जिसका संविधान के अनुच्छेद 243 में अधिकार है, उनको वह आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे गौड़ समाज, धूरिया समाज और जनजातीय समाज को आरक्षण मिल सके । धन्यवाद ।